Ujala Credit Co-operative Society Limited (Multi state)

410, 4th Floor, C-1,2,3, P P Tower, NSP, Pitampura, Delhi-110034,
Ph. 011-45595003 Website: www.ujalacredit.com;
Registration no. MSCS/CR/552/2012

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Fifteenth Annual General Meeting of General Body of Ujala Credit Co-operative Society Limited will be held on Thursday, Twenty Fourth Day of September, 2026 at Shree Vishnu Dham Bhawan, A-2 Keshav Puram, Delhi 110035 (Opposite Central School) at 10:00 AM to transact the following business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statement of the Society for the Financial Year ended March 31, 2026 and Reports of the Board of Directors and Auditors thereon.
2. To appoint Statutory Auditor of the Society for the FY 2026-2027.
3. For consideration and approval of compliance report of the society for the year ending 31st March 2026.
4. To approve the Budget for Financial Year 2026-2027.
5. To seek approval of the long term perspective plan and the annual operation plan.
6. To approve the appropriation of profit and Allocation of profit to reserve fund and other funds as per provision of MSCS Act.
7. To regularize the appointment of Co-opted Director, Mr. Umair Jalal, as a Director of the Company.
8. Any other matter with the permission of the Chairman.

By order of the Board of Directors
Sd/-
Rajinder Singh Rawat
Chairman
Ujala Credit Co-operative Society Limited (Multi state)

Date: 2nd September, 2026
Place: Delhi

शारिका एंटरप्राइजेज लिमिटेड

सीआईएन : L27102UP1998PLC206404
पंजीकृत कार्यालय : सी–504, पांचवीं मंजिल, एटीएस बुके,
सेक्टर–132, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत, 201305
ई–मेलः info@sharikaindia.com, वेबसाइटः www.sharikaindia.com

सार्वजनिक सूचना

आपको सूचित किया जाता है कि शारिका एंटरप्राइजेज लिमिटेड ("कंपनी")की 28वीं वार्षिक आम बैठक("एजीएम") सोमवार, 28 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएगी। यह आयोजन कंपनी अधिनियम,2013 और उसके तहत बने नियमों के लागू प्रावधानों; 22 सितंबर, 2025 के नवीनतम सामान्य सर्कुलर नंबर 03/2025 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा पहले जारी अन्य संबंधित सर्कुलर; तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा 03 अक्टूबर, 2024 को जारी सर्कुलर नंबर SEBI/HO/CFD/ CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 के अनुपालन में किया जाएगा। सदस्य यह भी ध्यान दें कि ऊपर बताए गए सर्कुलर और सरकार की ''गो–ग्रीन'' पहल के तहत, 28वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के पास रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 (''लिस्टिंग रेगुलेशंस'') के रेगुलेशन 36(1)(बी) के अनुसार,जिन शेयरधारकों के ईमेल पते कंपनी/आरटीए /डीपी के पास रजिस्टर्ड नहीं हैं,उनके रजिस्टर्ड पते पर एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट का वेब–लिंक और सटीक पाथ दिया होगा। वीसी या ओएवीएम के ज़रिए बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को एक्ट की धारा 103 के तहत कोरम (गणपूर्ति) के लिए गिना जाएगा। कंपनी अपने सभी सदस्यों को पहले की तरह ई–वोटिंग और रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा भी दे रही है।सदस्य ध्यान दें कि एजीएम दौरान रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएमके नोटिस में भी बताई गई है।

28वीं एजीएम के नोटिस की ई–कॉपी और कंपनी की वित्त वर्ष 2025–26 की सालाना रिपोर्ट समय आने पर कंपनी की वेबसाइट www.sharikaindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी। कंपनी उन सदस्यों को एजीएम नोटिस और सालाना रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजेगी जो info@sharikaindia.com पर अपना फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी बताते हुए इसके लिए अनुरोध करेंगे।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के ज़रिए एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं; एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश 28वीं एजीएम के नोटिस में दिए जाएंगे। इसलिए, कृपया ध्यान दें कि कंपनी की एजीएम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने और भाग लेने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यदि ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/आरटीए के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो कृपया नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करके उसे रजिस्टर करें:

भौतिक धारिता :

कंपनी के आरटीए,यानी स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को D–153।, पहली मंज़िल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज I, नई दिल्ली–110 020 पर ठीक से भरा हुआ फॉर्म आईएसआर –1 और अन्य संबंधित फॉर्म भेजें। ये फॉर्म आरटीए की वेबसाइट info@skylinerta.com पर 'डाउनलोड'' टैब के तहत डाउनलोड किए जा सकते हैं। आप फॉर्म आईएसआर–1 और अन्य संबंधित फॉर्म कंपनी के आरटीए को info@skylinerta.com पर भेज सकते हैं और इसकी एक कॉपी कंपनी को info@sharikaindia. com पर भी भेज सकते हैं।

डीमैट धारिता :

कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता रजिस्टर करें। कृपया भविष्य में कंपनी द्वारा डिविडेंड (लाभांश) घोषित किए जाने की स्थिति में भुगतान पाने के लिए अपने डीपी के पास अपनी बैंक विवरण भी अपडेट कर लें।

ऊपर दी गई जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर के नियमों के अनुसार है।

शारिका एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए
(हस्ताक्षर)
पुष्पा यादव
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थानः नोएडा, उत्तर प्रदेश,
दिनांक : 01 सितंबर, 2026

इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L74899DL1984PLC019218
पंजीकृत कार्यालयः एमजीएफ हाउस, 4/17–बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली – 110002
फोनः 41520070 फैक्सः 41503479 वेबसाइटः www.indialease.com
ई–मेलः info@indialease.com जीएसटीआईएनः 07AAACI0149R1ZB

41वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई–वोटिंग की जानकारी

सूचना दी जाती है कि **इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड** ("कंपनी") के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:30 बजे,** कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात MGF हाउस, 4/17–B, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जानी निर्धारित है। इस बैठक में सदस्यों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी। उल्लेखनीय बैठक का आयोजन कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूतियों और एक्सचेंज बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं स्क्रीनिंग आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी" लिस्टिंग विनियम"), तथा एमसीए परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 सहित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी अन्य संबंधित विवरणों के अनुपालन में किया जा रहा है। बैठक में 41वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में अनौपचारिक कार्य/कारोबार को संपादित किया जाएगा।

ई–मेल के माध्यम से सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुलाने हेतु नोटिस, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण (**Explanatory Statement**) तथा वित्तीय वर्ष 2025–2026 की वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित है, दिनांक 01 सितंबर, 2026 को निर्धारित समय–सीमा के भीतर उन सभी सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेजी गई, जिनकी ई–मेल आईडी रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत थी। इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुपालन में, उन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु वेब लिंक और क्यूआर कोड उपलब्ध कराने वाला पत्र भी प्रेषित किया गया, जिनके ई–मेल पते कंपनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं थे।

41वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट सहित, निम्नलिखित पर उपलब्ध है:–

कंपनी	https://www.indialease.com/AnnualReports25-26New.html	QR CODE
बीएसई लिमिटेड	www.bseindia.com	
सीडीएसएल	www.evotingindia.com	

रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग

कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य से कंपनी ने एजीएम से पूर्व तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली की सुविधा प्रदान करने हेतु सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) को नियुक्त किया है। रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी:

1. रिमोट ई–वोटिंग **सोमवार, 21 सितंबर, 2026 को प्रातः 09:00 बजे प्रारंभ होगी और बुधवार, 23 सितंबर, 2026 को सायं 05:00 बजे** समाप्त होगी। **23 सितंबर, 2026 को सायं 05:00 बजे** के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। एक बार किसी संकल्प के पक्ष में सदस्य द्वारा अपना मत दे दिए जाने के पश्चात, सदस्य को बाद में अपना मत बदलने की अनुमति नहीं होगी।
2. वे सदस्य, जिनके नाम "कट–ऑफ तिथि" अर्थात **गुरुवार, 17 सितंबर, 2026** को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने अथवा, यथास्थिति, एजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे। सदस्यों के मतदान अधिकार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो "कट–ऑफ तिथि" अर्थात **गुरुवार, 17 सितंबर, 2026** को उनके पास होंगे।
3. वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मत दे दिया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं दिया है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

   सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (AGM) में उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम (गणपूर्ति) के निर्धारण के उद्देश्य से उपस्थित सदस्यों के रूप में माना जाएगा। चूंकि वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

पुस्तक बंदी

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में, एजीएम के आयोजन के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर (तथा शेयर अंतरण पुस्तकों को शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 से गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रखा जाएगा।

ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के लिए ई–मेल **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर संपर्क किया जा सकता है अथवा 18002109911 पर कॉल किया जा सकता है।

बोर्ड के आदेशानुसार,
इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के लिए,
रोहित मदान
प्रबंधक, कंपनी सचिव,
अनुपालन अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
एसीएस – 13636

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 1 सितंबर, 2026

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, ऑफिस नं. 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू,
मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के तहत)

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट") जिसका पंजीकृत कार्यालय कॉमजीन आईटी पार्क, टॉवर–बी, पहली मंज़िल, नं. 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई–600116 में तथा कॉर्पोरेट कार्यालय 10वीं मंज़िल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051 में है, के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 11/06/2025 जारी कर ऋणधारको (1) नेशनल लगेज इंडस्ट्रीज (2) मधु गक्खड़ (3) बृजेश कुमार (4) राजेश गक्खड़ को ऋण खाता सं.# 173001310416415 के अंतर्गत दिनांक3 जून 2026 तक देय रु. 66,98,249.87/– (रुपये छियासठ लाख अठानवे हजार दो सौ उनचास और सतासी पैसे मात्र) की राशि वापस लौटने का निर्देश दिया थो

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की आज दिनांक 31 अगस्त 2026 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारकों और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय दिनांक3 जून 2026 तक देय रु. 66,98,249.87/– (रुपये छियासठ लाख अठानवे हजार दो सौ उनचास और सतासी पैसे मात्र) तथा उस पर व्याज के लिए एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

सुरक्षित परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) की अनुसूची
संपत्ति का विवरण – संपत्ति के मालिकः मधु गक्खड़; संपत्ति का विवरणः– फ्रीहोल्ड सोसाइटी फ्लैट सं. बी–27, प्रथम तल, एमआईजी श्रेणी और भूतल पर गैराज का संपूर्ण टुकड़ा और भूखंड, जो द जनरल स्टाफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के लेआउट प्लान में स्थित है, जिसे वर्तमान में बृज विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034 के नाम से जाना जाता है।

दिनांकः 31–08–2026
स्थानः नई दिल्ली

हस्ता./– अधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

एन के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ओमेक्स स्क्वायर, प्लॉट नं.14, 3री मंजिल, जसोला जिला केंद्र,
जसोला, नई दिल्ली–110025
CIN: L17299DL1983PLC163230; दूरभाषः +91 11 61119429
ईमेल आईडीः n.ktextiles123@gmail.com | वेबसाइटः www.nktil.com

वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को दोपहर 3:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालयः ओमेक्स स्क्वायर, प्लॉट नं. 14, 3री मंजिल, जसोला जिला केंद्र, जसोला, नई दिल्ली–110025 में वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में उल्लिखित कार्यों को निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी। स्पष्टीकरण विवरण, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची के साथ एजीएम की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा गया है जिनके ईमेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं, जब तक कि सदस्यों ने इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध न किया हो। अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत माध्यमों के द्वारा भौतिक प्रति भेज दी गई है। कंपनी ने शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को ईमेल और अन्य स्वीकृत माध्यमों से सभी प्रेषण पूरे कर लिए हैं।

सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना, जिसमें अन्य बातों के अलावा ई-वोटिंग प्रक्रिया की प्रक्रिया और तरीका, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची शामिल है, कंपनी की वेबसाइट ar25-26.pdf पर उपलब्ध है और इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमन, 2015 के नियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से कारोबार निष्पादित किया जा सकता है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को सुबह 9.00 बजे से शुरू होगी और गुरुवार, 24 सितंबर 2026 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग अक्षम कर दी जाएगी और इसके बाद किसी भी ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने कानून के अनुसार और निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया को संचालित करने के लिए स्क्रूटनाइजर के रूप में कंपनी सचिव, विशाल अरोड़ा एंड एसोसिएट्स से श्री विशाल अरोड़ा को नियुक्त किया है।

सदस्यों के मतदान अधिकार 18 सितंबर 2026 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे। उक्त कट-ऑफ तिथि को भौतिक या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तिथि यानी 18 सितंबर 2026 तक ऐसे शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एजीएम में बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और केवल वही सदस्य जो "कट-ऑफ तिथि" यानी 18 सितंबर 2026 को पात्र हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे ही एजीएम में बैलट पेपर के माध्यम से वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के हकदार होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट डाल दिया है, वे अभी भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

एजीएम की सूचना, जिसमें अन्य बातों के अलावा ई-वोटिंग की प्रक्रिया शामिल है, कंपनी की वेबसाइट www.nktil.com और एनएसडीएल की वेबसाइट hhttps://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या एनएसडीएल के टोल-फ्री नं.: 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं या investor@masserv.com पर मेल लिख सकते हैं।

एतद्द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमन, 2015 के नियमन 42 के अनुसार, वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से कंपनी की सदस्य रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें शनिवार, 19 सितंबर 2026 से शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

कृते, एन के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./–
अंकित चतुर्वेदी
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01.09.2026

अजंता सोया लिमिटेड

CIN L15494RJ1992PLC016617
पंजीकृत कार्यालयः एसपी– 916, फेज–।।।, औद्योगिक क्षेत्र, जिला अलवर, भिवाड़ी 301 019, राजस्थान
फोन नं. 911–6176727, 911–6128880
कॉर्पोरेट कार्यालयः 12वीं मंजिल, बिगजो'स टॉवर, ए–8, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर जिला केंद्र, दिल्ली–110 034
फोन नं. 91–11–42515151, **फैक्सः** 91–11–42515100
वेबसाइटः www.ajantasoya.com, **ई–मेलः** cs@ajantasoya.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के संबंध में सूचना

सदस्य कृपया ध्यान दें कि अजंता सोया लिमिटेड की **35वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम")** सोमवार, 28 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:30 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यम (''वीसी/ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित, तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुसार होगी, ताकि एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित किए जाने वाले कार्यों का लेन–देन किया जा सके। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम निर्धारित करने के उद्देश्य से की जाएगी। एजीएम का माना गया स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

लागू परिपत्रों और अन्य लागू कानूनों के अनुसार, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए")/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों), जैसा लागू हो, के पास पंजीकृत हैं। जो सदस्य एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, वे कंपनी/आरटीए से इसकी मांग कर सकते हैं। एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.ajantasoya.com**, बीसीई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com**, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी उन सदस्यों को वेब लिंक (वार्षिक रिपोर्ट और AGM की सूचना के सटीक पथ सहित) प्रदान करने वाला एक पत्र भेजेगी, जिनके ईमेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत नहीं हैं।

लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले सभी कार्यों के संबंध में रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा भी प्रदान करेगी। ई–वोटिंग सुविधा और एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत निर्देश सूचना में प्रदान किए जाएंगे।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत या अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार ऐसा करें:

.ए भौतिक होल्डिंगः

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फार्म आईएसआर –1 की प्रतियां, संबंधित दस्तावेजों के साथ, निम्नलिखित पते पर आरटीए को जमा करके अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट करें:

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
डी–153 ए, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–।, नई दिल्ली – 110020
संपर्क नंबरः 011–40450193 से 97

इ. डीमैट होल्डिंगः

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खातों में अपने ईमेल पते पंजीकृत करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को पैन और केवाईसी विवरण प्रस्तुत करने के लिए अति. रिक्त जानकारी /अनुस्मारक

सेबी ने इस संबंध में जारी प्रासंगिक परिपत्रों के माध्यम से भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा पैन और केवाईसी विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है। आवश्यक विवरणों में पैन , पैन कोड सहित डाक पता और मोबाइल नंबर वाले संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर शामिल हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे किसी भी शिकायत को दर्ज कराने या किसी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के पात्र होने के लिए आवश्यक दस्तावेज/विवरण यथाशीघ्र रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के पास प्रस्तुत/अपडेट करें।

ऐसे फोलियो के संबंध में कोई भी भुगतान, जिसमें अपेक्षित पैन, केवाईसी और अन्य निर्धारित विवरण उपलब्ध नहीं हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा, बशर्ते कि आवश्यक विवरण आरटीए के पास प्रस्तुत किए जाएं। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचार प्राप्त करने के लिए आरटीए के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट करें। सेबी ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा पैन प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया है। तदनुसार, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास अपना पैन प्रस्तुत/अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं।

इसके अलावा, सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, तो आरटीए से संपर्क करके, या यदि शेयर डीमैटीरियलाइज्ड रूप में धारित हैं, तो अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ों) से संपर्क करके अपने नामांकन विवरण को अपडेट करें। सदस्य फार्म आईएसआर–1 के माध्यम से आरटीए के पास अपने केवाईसी विवरण प्रस्तुत/अपडेट कर सकते हैं, फार्म एसएच –13 के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं, फार्म आईएसआर– 3 के माध्यम से नामांकन से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं, या, जैसा लागू हो, फार्म एसएच –14 के माध्यम से नामांकन में परिवर्तन/संशोधन कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.ajantasoya.com पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दी गई सभी टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और, विशेष रूप से, एजीएम में शामिल होने तथा रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मत देने के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

अजंता सोया लिमिटेड की ओर से
हस्ता/–
कपिल
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांकः 1 सितंबर, 2026
स्थानः नई दिल्ली

BIRLA TRANSASIA CARPETS LIMITED

CIN: L17222UP1972PLC004772/ Email Id: btcl.birlagroup@gmail.com/Phone No:22851034
Reg Off: 3A/246A, Flat No 2, Azad Nagar, Kanpur Nagar, Kanpur, Arya Nagar (Kanpur Nagar), Kanpur Nagar, Arya Nagar, Uttar Pradesh: 208002

Information regarding Notice of 51st Annual General Meeting of the company to be held through VC/OAVM

NOTICE is hereby given that the **51st Annual General Meeting (AGM)** of Birla Transasia Carpets Limited (the Company) will be held on **Monday, September 28, 2026 at 11:00 A. M. IST** through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM which will be circulated to the members for conducting the AGM. The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020 and June 23, 2021, September 25, 2023, September 19, 2024 ,the latest being General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 (collectively referred to as MCA Circulars) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD- 2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 have granted certain relaxations to the bodies corporates and thus, permitted the holding of the AGM through VC /OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. The AGM will be held in conformity with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI.

In Compliance with the applicable circulars, the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2025-2026 will be sent through electronic mode to all the members whose email addresses are registered with the Company/Depositories/ Registrar and Share Transfer Agent. The Notice of Annual General Meeting and Annual Report for FY 2025-26 will also be made available on Company's website at www.btclybg.com and the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

In terms of section 108 of the Act and rules made thereunder, businesses to be transacted at the AGM will be transacted through remote e-voting (prior to the AGM) and also e-voting during the Meeting. The instruction for remote e-voting and attending/joining the said AGM and also e-voting during the AGM are being provided in the AGM Notice. The Company has engaged NSDL, as the authorized e-Voting's agency to facilitate voting through electronic means. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by NSDL.

Member who have not registered their email ID and wish to participate in the 51st AGM or cast their votes through e-voting may obtain their user ID and password by registering their email id by writing email to company at info@birlainternational.net or members may also send email to NSDL at evoting@nsdl.co.in together with scanned copy (1) signed request letter mentioning their name and DP ID & Client ID or Folio Number (2) Share Certificate and self-attested client master or consolidated demat account statement (3) self-attested PAN Card and (4) self-attested address proof.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 22, 2026 to September 28, 2026 (both days inclusive).

By Birla Transasia Carpets Limited
sd/-
ARUN KUMAR SINGHI
Director
DIN: 00309207

Place: Mumbai
Date: 02/09/2026

इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस लिमिटेड

(पूर्व में इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
CIN L72900DL 1998PLC096508
पंजीकृत कार्यालयः 107, डीएलएफ साउथ सिटी कोर्ट, साकेत, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली–110017, भारत
फोनः 011–45082517, ईमेलः contact@infonativesolutions.com, वेबः www.infonative.net

28वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस लिमिटेड (''कंपनी'') की 28वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को अपराह्न 3:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।

कंपनी ने 01 सितंबर, 2026 को वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी है, जिनके ई–मेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं, जो सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों, जिनमें नवीनतम परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किया गया है और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/ 133 दिनांक 03 अक्टूबर 2024 सेबी द्वारा जारी किया गया है (सामूहिक रूप से ''परिपत्र'' के रूप में संदर्भित), के अनुसार एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित कार्यों को संपादित करने के लिए है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(1)(इ) के अनुसार, उन शेयरधारकों को एक पत्र भेजा गया है, जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/ आरटीए/ डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए पथ के साथ वेब–लिंक प्रदान किया गया है। 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://infonative.net/ और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीसीई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 को कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पढ़े जाने पर, समय–समय पर यथासंशोधित, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (''लिस्टिंग विनियम'') के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक – 2 के अनुपालन में, कंपनी सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। कंपनी ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है।

ए)	ई–वोटिंग के लिए कट–ऑफ तिथि	शुक्रवार, 18वीं सितंबर, 2026
बी)	रिमोट ई–वोटिंग का प्रारंभ	मंगलवार, 22वीं सितंबर, 2026 को 09:00 बजे सुबह
सी)	रिमोट ई–वोटिंग की समाप्ति	गुरुवार, 24वीं सितंबर, 2026 को 05:00 बजे शाम

सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम के दौरान या दूरस्थ रूप से से एजीएम की सूचना में निर्धारित विषयों पर अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमैटेरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए दूरस्थ रूप से या से एजीएम के दौरान मतदान करने की प्रक्रिया से एजीएम बुलाने वाली सूचना में दी गई है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर–व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और ई–मेल के माध्यम से सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, सीडीएसएल को helpdesk.evoting@cdslindia.com या जारीकर्ता /आरटीए को अनुरोध भेजकर लॉगिन प्व और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप पहले से ही दूरस्थ ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड अपने वोट डालने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

निदेशक मंडल ने मेसर्स वाई के एंड एसोसिएट्स , प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को मतदान प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है। यदि सीडीएसएल ई–वोटिंग सिस्टम से एजीएम में भाग लेने और ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या हो, तो आप helpdesk.evoting@cdsl.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 210 9911 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई–400013 से संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdsl.com पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नं.. 1800 210 9911 पर कॉल करें। अधिक विवरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों को देखें।

इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/–
सौरभ कथूरिया
होल–टाइम डायरेक्टर
डीन : 06821189

तारीख 01.09.2026
स्थानः नई दिल्ली

अलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड

CIN: L65993DL1989PLC035409
पंजी. कार्या.: डीएससी-236ए, प्रथम तल, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017
ई-मेलः companysecretary@aiml.in वेबसाइटः www.aiml.in दूरभाष सं.: 011-41049702

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के जरिए आयोजित होने वाली 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में सूचना

प्रिय सदस्यों,

अलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की **37वीं वार्षिक सामान्य बैठक** ("एजीएम") कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सभी लागू परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), इसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को दोप. 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के जरिए आयोजित की जाएगी जिसमे एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों को निष्पादित किया जायेगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

एमसीए एवं सेबी के परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजा जाएगा जिनके ई-मेल पते कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) के पास पंजीकृत हैं। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.aiml.in, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

उन सभी शेयरधारकों जिन्होंने अपना ईमेल पंजीकृत नहीं कराया है, को उनके पंजीकृत पते पर या डिपॉजिटरी से प्राप्त डेटा के अनुसार उपलब्ध पते पर एक पत्र भेजा जाएगा, जिसमें एक वेब-लिंक और वह सटीक पाथ प्रदान किया जाएगा जहाँ वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है।

हालाँकि, वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतिउन शेयरधारकों को प्रदान की जाएगी जो इसके लिए विशेष रूप से अनुरोध करेंगे। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट क्रमशः कंपनी की वेबसाइट https://aiml.in पर और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में भाग ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। बैठक में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में प्रदान किए जाएंगे।

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में विचार किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("ई-वोटिंग") द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है, और एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्य ई-वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किए जा सकते हैं। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है।

ऐसे सदस्य जिनका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) के पास पंजीकृत नहीं है और जो ईमेल के माध्यम से एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2025–2026 प्राप्त करना चाहते हैं, तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली या रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहते हैं, वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत करा सकते हैं:

भौतिक शेयरधारिता के मामले में: कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड, जिसका कार्यालय बीटल हाउस, 3री मंजिल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली 110062 पर स्थित है, के पास Investor@beetalfinancial.com और beetalrta@gmail.com पर अपना पैन और केवाईसी विवरण (ईमेल पता और बैंक खाते के विवरण सहित) पंजीकृत/अद्यतन करें। सदस्य कंपनी की वेबसाइट www.aiml.in पर उपलब्ध संबंधित फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

डीमैट शेयरधारिता के मामले में: डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत/अद्यतन करें, जिनके पास उनका डीमैट खाता है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम में शामिल होने के निर्देशों और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके सहित एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

अधिक जानकारी के लिए, सदस्य कंपनी/कंपनी के आरटीए को companysecretary@aiml.in / beetalrta@gmail.com पर लिख सकते हैं।

कृते, अलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड
हस्ता./–
दलजीत सिंह चहल
अध्यक्ष सह पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएनः 03331560

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01.09.2026

सोफिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

(CIN: L52110DL1985PLC020059)
पंजी. कार्यालयः 4973/201 पहतक बादल बागे, हौज काजी,
दिल्ली– 110006, भारत
कार्पोरेट कार्यालयः 81, फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट, पटपड़गंज,
दिल्ली – 110092, भारत
ई-मेल : info@sophiaexport.com **वेबसाइट** www.sophiaexport.com
टेलीफोनः 011-43041400

42वीं वार्षिक आम बैठक, किताब बंदी और ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 28.09.2026 को सुबह 10:30 बजे 81, फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 पर एजीएम बुलाने के नोटिस में उल्लेख व्यवसायों के संचालन के लिए आयोजित होने वाली है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, संशोधित (नियम) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। तदनुसार, एजीएम के नोटिस में दी गई व्यवसाय की वस्तुओं को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से लेनदेन किया जा सकता है।

सेबी के परिपत्रों के अनुसार, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 'वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट' 01.09.2026 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को भेज दी है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार पंजीकृत हैं। सूचीकरण विनियमों के विनियम 36(1)(ख) के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने वाले क्यूआर कोड और वेबलिंक सहित सटीक पथ प्रदान करने वाला पत्र उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी/एबीएस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि

- ए) रिमोट ई-वोटिंग 25.09.2026 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और 27.09.2026 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी और उसके बाद एनएसडीएल द्वारा इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा;
- बी) एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी 21.09.2026 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा साथ ही एजीएम में पोल पेपर के माध्यम से मतदान किया जाएगा। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। उक्त तिथि पर कंपनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के भुगतान मूल्य पर वोटिंग अधिकार की गणना की जाएगी;
- ग) एक गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक या भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाला शेयरधारक, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 21.09.2026 तक शेयर रखता है, वह वोटिंग से पहले evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध (नाम, फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी, जैसा भी मामला हो और शेयरहोल्डिंग) भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें या टोल फ्री नंबर 022-4886 7000 या एबीएस कंसल्टेंट प्रा. लिमिटेड (आरटीए) को absconsultant99@gmail.com पर या 033-22301043/22430153 पर कॉल करें। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक और जो कंपनी के शेयर हासिल करते हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तारीख तक शेयर रखते हैं, वे एजीएम के नोटिस में उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। सदस्य ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से रखे गए डीमैट खाते के मौजूदा लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं;
- घ) एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में पोल पेपर के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
- ई) कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 22.09.2026 से 28.09.2026 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे;
- च) सीएस विपिन शुकला, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, दिल्ली (एम नंबरः एफ6798, सीओपीः 18011) निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को संचालित करने के लिए एक जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे; और
- छ) वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.sophiaexport.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंग निर्देशो के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों को पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या उपरोक्त ईमेल आईडी पर एनएसडीएल और आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान के परिणाम निर्धारित समय में घोषित किए जाएंगे। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.sophiaexport.com और एनएसडीएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद रखे जाएंगे और परिणाम भी घोषित किए जाएंगे व स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा और पंजीकृत कार्यालय और कारपोरेट कार्यालय के पते पर प्रदर्शित किया जाएगा।

कृते सोफिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
ह./–
ललित अग्रवाल
निदेशक
डीआइएनः 00109920

दिल्ली, 01 सितंबर, 2026

MGF द मोटर और जनरल फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएन नं.: L74899DL1930PLC000208
पंजीकृत कार्यालयः एमजीएफ हाउस, 4/17–बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002.
फोनः 23272216–18, 23276872 | ई–मेलः mgfltd@hotmail.com
वेबसाइटः http://www.mgfltd.com | जीएसटी नं.: 07AAACT2356D2ZN

96वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं ई–वोटिंग संबंधी जानकारी

सूचित किया जाता है कि द मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 96वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात एमजीएफ हाउस, 4/17–बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सदस्यों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी। उक्त बैठक का आयोजन कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सेबी लिस्टिंग विनियम) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025, साथ ही कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी अन्य संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में किया जा रहा है। 96वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित कार्यसूची के अनुसार विभिन्न विषयों पर कार्यवाही एवं निर्णय हेतु उक्त बैठक आयोजित की जाएगी।

ई–मेल के माध्यम से सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण

उपर्युक्त विवरणों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वापसी हेतु नोटिस, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण (व्याख्यात्मक कथन) तथा वित्तीय वर्ष 2025–2026 की वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित है, निर्धारित समय–सीमा के भीतर दिनांक 01 सितंबर, 2026 को उन सभी सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गई, जिन्हें ई–मेल आईडी धारक एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत थी।

इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, उन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु वेब लिंक और क्युआरकोड उपलब्ध कराने वाला पत्र भी प्रेषित किया गया, जिनके ई–मेल पते पर कंपनी अथवा सदस्य प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं थे।

96वीं एजीएम नोटिस और 2025–26 की एनुअल रिपोर्ट यहां उपलब्ध है:

कंपनी	https://www.mgfltd.com/Audited_Results.html	QR CODE
बीएसई लिमिटेड	www.bseindia.com	
एनएसई लिमिटेड	www.nseindia.com	
सीडीएसएल	www.evotingindia.com	

रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग

कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य से कंपनी ने एजीएम से पूर्व तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली की सुविधा प्रदान करने हेतु सीडीएसएल (CDSL) को नियुक्त किया है।

रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी:

1. रिमोट ई–वोटिंग **सोमवार, 21 सितंबर, 2026 को प्रातः 09:00 बजे** शुरू होगी और **बुधवार, 23 सितंबर, 2026 को सायं 05:00 बजे** समाप्त होगी। **23 सितंबर, 2026 को सायं 05:00 बजे** के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा अपना मत दे दिए जाने के बाद सदस्य को बाद में अपना मत बदलने की अनुमति नहीं होगी।
2. वे सदस्य, जिनके नाम "कट–ऑफ तिथि" अर्थात **गुरुवार, 17 सितंबर, 2026** को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा संवैधानिकरीज द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने अथवा, जैसा भी मामला हो, एजीएम में वोटिंग करने के हकदार होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार "कट–ऑफ तिथि" अर्थात **गुरुवार, 17 सितंबर, 2026** को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयरकैपिटल में उनके नतीजों के अनुपात में होंगे।
3. वे सदस्य, जो एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मत दे दिया है, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे पुनः वोटिंग करने के पात्र नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं दिया है और जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करने के पात्र होंगे।

सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित और उसमें भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणनपूर्ति (कोरम) के प्रावधानार्थ उपस्थित सदस्यों के रूप में माना जाएगा। चूंकि वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों द्वारा नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

बुक क्लोजर

आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी का सदस्य रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तिकाएं **शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 से गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित)** वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी तरह की पूछताछ या शिकायत के लिए **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ईमेल किया जा सकता है या 18002109911 पर कॉल किया जा सकता है।

बोर्ड के आदेशानुसार,
द मोटर एवं जनरल फाइनेंस लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
(एम.के. मदन)
उपाध्यक्ष, कंपनी सचिव, सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी
एम नं. एसीएस–2951

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01 सितंबर, 2026